संख्या-8/2023/ 77-3099/454/2022/001-439

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा , पर्यटन भवन
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: मार्च, 2023

विषय:- उ0प्र0 डिफेन्सर इण्ड्स्ट्रियल कॉरिडोर जनपद अलीगढ़ नोड के अन्तनर्गत सीवरेज सिस्ट्म, ड्रेनेज सिसटम एवं पेयजल एवं वितरण प्रणाली के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक 6723/यूपीडा/तकनीकी/डिफ0कॉरि0/2159 दिनांक 13.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 डिफेन्स इण डस्ट्रियल कॉरिडोर जनपद अलीगढ़ नोड के अन्तर्गत सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिसटम एवं पेयजल एवं वितरण प्रणाली के आगणन की वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू. 5211.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू. 4500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य-08 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1806526289/- में से डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत अलीगढ़ नोड में सीवरेज सिस् टम, ड्रेनेज सिस्टम एवं पेयजल हेतु वितरण प्रणाली के कार्य के भुगतान हेतु वित्त व्यय समिति से मूल्यांकित धनराशि रू. 4389.77 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पच्चीस प्रतिशत धनराशि रू0 1097.44 लाख (रुपये दस करोड़ सत्तानबे लाख चौवालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं -

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखा जायेगा।

(2) धनराशि आहरित कर अधीक्षण अभियन्तो, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) अलीगढ़ को उनकी आवश्यगकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का आहरण उपयोग केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 08.11.2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

(8) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थान का होगा।

(9) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यूपीडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।

(10) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्टस एक्ट, 1976 के संबंधित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) यूपीडा द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यएक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यूपीडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीएसटी सम्मिलित न हो।

(13) प्रायोजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व् कार्यदायी संस्था/यूपीडा का होगा।

(14) प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजना के अन्तर्गत कोई उल्लोखनीय परिवर्तन जैसे-नये

कार्य बढाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1097.44 लाख (रुपये दस करोड़ सत्तानवे लाख चवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-206-X-2022-23-दिनांक:18-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(निधि श्रीवास्तव),
विशेष सचिव,

Signed by निधि श्रीवास्तव
Date: 20-03-2023 17:18:09
Reason: Approved

संख्या-8/**2023/ 77-3099/454/2022/001-439**, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ**0** प्र**0** इलाहाबाद।
3.अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
7.वित्त (ई) अनुभाग-**6**, औद्योगिक विकास अनुभाग-**2**
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव।